


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ21(7)2023-24 / विकास/प्रमुवसं/ 5251

दिनांक: 06/07/2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ21(7)2023-24 / विकास/प्रमुवसं/4697 दिनांक 13.06.2023 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 48 (I) (दिनांक 17.03.2023) की अनुपालना में युवाओं को वन क्षेत्रों में हाइकिंग, टेकिंग, कैम्पिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों से जोड़ने हेतु आवंटित बजट में लेखा मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, 800-अन्य व्यय, 02- स्मार्ट ग्रीन सिटी, 01-नगरीय वन, 16-लघु निर्माण कार्य के स्थान पर लेखा मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, 800-अन्य व्यय, (01)-पर्यावरण वृक्षारोपण (राज्य निधि), 16-लघु निर्माण कार्य पढ़े जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है।


(पी.के. उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ21(7)2023-24 / विकास/प्रमुवसं/ 5252-74

दिनांक: 6/7/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/जयपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. संबंधित उप वन संरक्षक
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर